

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

संख्या -334/2024

विवरण :

सत्यनारायण पुत्र बृजलाल जाति स्वामी निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

वनाम

1. बृजलाल पुत्र लाभूदास जाति स्वामी निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. चानण राम पुत्र बृजलाल जाति स्वामी निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. प्रेम कुमार पुत्र बृजलाल जाति स्वामी निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रेशमां पत्नी बृजलाल जाति स्वामी निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सरोज पुत्री बृजलाल पत्नी जगदीशचन्द्र जाति स्वामी निवासी जानकीदास वाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :-वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिंह


:-प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक...1.21.12.24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीया श्री महावीर प्रसाद वर्मा व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 11 आर.डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 158/153 में कुल अंकित 2.024 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल के 1/5 हिस्सा की आराजी के वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 11 आर डबल्यू डी के खाता सं० 158/153 में से प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी